भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARY Gorakhpur NOTARIAL NOTARIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DP 244985

शपथ–पत्र

हम रणधीर सिंह (अध्यक्ष) एवं विनोद कुमार सिंह (सचिव) आशुतोष शिक्षा एवं सेवा संस्थान, 89-सी, कैलाशकुन्ज, चारुचन्द्रपुरी कालोनी, दाउदपुर, गोरखपुर शपथपूर्वक बयान करते हैं–

1. यह कि हमारी सोसाइटी द्वारा **कैलाश इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एण्ड मेडिकल साइंसेज, प्लाट नं0 बी0एल0–2, सेक्टर–9, गीडा, गोरखपुर** नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी **आशुतोष शिक्षा एवं सेवा संस्थान, प्लाट नं0 बी0एल0–2, सेक्टर–9, गीडा, गोरखपुर में गाटा संख्या 79 एवं 1.58** हेक्टेयर भूमि है।
3. यह कि, उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के **गाटा संख्या 79 कुल रकबा 1.58 (0.5) हेक्टेयर** पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी की बैठक दिनांक **11.08.2019** द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रस्तावित डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

Shyam Ji, Notary Gorakhpur 5/8/23

Randhir Singh Vinod Kr. Singh

[illegible]
[illegible]

हीरालाल
दीवानी कचहरी गोरखपुर
ला0 नं0 04

8. यह कि, इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते है तो मेरे विरूद्ध परिषद नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

NOTARY
HEAD QUARTER
GORAKHPUR (U.P.)
GOVT OF UTTAR PRADESH

Ramsthir Singh
ह0 अध्यक्ष

Vinod Singh
ह0 सचिव

Shyam Ji
Notary
Gorakhpur

Randhir Singh

Vinod Kr Singh

Identified Signature of Sri Randhir Singh and Sri Vinod Kumar Singh

V.K. Srivastava
Advocate
29/08/2023

NOTARY
GOVT. OF UTTAR PRADESH (INDIA)

Sl. No. 466 Solemnly affirmed before me
on 29/8/2023
by Shri/Smt. Randhir Singh & Vinod Kumar Singh
The deponent who is
identified by V.K. Srivastava Adv
I have satisfied myself and he/she understands the contents of this affidavit which have been read over and explained by me

Shyam Ji 29/8/23
Notary
Gorakhpur